भारत सरकार

विदेश मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 694

दिनांक 29.11.2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

भारतीय प्रवासी श्रमिकों के लिए मुआवज़ा

694. श्री सुदामा प्रसादः

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्तमान में विभिन्न देशों में कार्यरत भारतीय नागरिकों का देश-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्तमान में विभिन्न देशों में कार्यरत भारतीय नागरिकों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है और किन-किन राज्यों से है;

(ग) भारतीय श्रमिकों की सर्वाधिक संख्या वाले शीर्ष दस देश तथा उनमें रोजगार की स्थिति;

(घ) विदेशों में रोजगार के दौरान कितने भारतीय प्रवासी कामगारों की मृत्यु हुई है और सरकार द्वारा उनके शवों को सम्मानपूर्वक अंतिम संस्कार के लिए उनके परिवारों को लौटाने और उनके परिवारों को मुआवजा और अन्य वित्तीय सहायता देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है;

(ड.) क्या सरकार ने विदेशों में रह रहे भारतीय प्रवासियों के रहन-सहन और कार्य दशाओं के बारे में कोई विशिष्ट अध्ययन कराया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं,तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) क्या सरकार ने विदेशों में रह रहे भारतीय प्रवासियों के रहन-सहन और कार्य दशाओं में सुधार लाने के लिए कोई पहल की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं ,तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विदेश राज्य मंत्री

[श्री कीर्ति वर्धन सिंह]

(क) और (ख) उपलब्ध जानकारी के अनुसार, अकुशल श्रमिकों, कुशल श्रमिकों और व्यावसायिकों सहित लगभग 15 मिलियन भारतीय नागरिक विदेश में हैं। मंत्रालय ई-माइग्रेट पोर्टल के माध्यम से 18 अधिसूचित ईसीआर श्रेणी के देशों में से किसी देश में विदेशी रोजगार के लिए जाने वाले उत्प्रवास जांच अपेक्षित (ईसीआर) पासपोर्ट धारक भारतीय श्रमिकों के संबंध में डाटा रखता है। पिछले 4 वर्षों के दौरान ऐसे श्रमिकों को दी गई उत्प्रवास अनापत्ति (ईसी) का देश-वार और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार डाटा क्रमशः अनुबंध-I और अनुबंध-II में संलग्न है।

(ग) 2021-2024 के दौरान जारी किए गए ईसी आंकड़ों के अनुसार, शीर्ष दस देश जिनमें सबसे अधिक संख्या में भारतीय श्रमिकों ने प्रवास किया, नीचे दिए गए हैं।

क्रमांक	**देश का नाम**	**जारी ईसी की संख्या**
1.	सऊदी अरब	5,63,813
2.	संयुक्त अरब अमीरात	2,12,018
3.	कुवैत	1,64,017
4.	कतर	1,32,887
5.	ओमान	94,907
6.	मलेशिया	33,482
7.	बहरीन	31,836
8.	जॉर्डन	8,982
9.	इराक	6,370
10.	लेबनान	666

भारत के इन श्रमिकों में से अधिकांश खाड़ी देशों में निर्माण, तेल और गैस, खाद्य और पेय उद्योग, आतिथ्य, खुदरा, हाउसकीपिंग, घरेलू काम, भंडारण और संभार तंत्र, स्वास्थ्य सेवा, इंजीनियरिंग, आईटी, वित्त, खेती, विनिर्माण, परिवहन, बंदरगाह और पोत परिवहन, पर्यटन, खनन, शिक्षा, थोक, खुदरा, ऑटोमोबाइल, घरेलू काम जैसे प्लंबर, इलेक्ट्रीशियन, ड्राइवर, घरेलू सहायिका, क्लीनर और रसोइया आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत हैं।

(घ) वर्ष 2024 के दौरान ईसीआर देशों में भारतीय नागरिकों (भारतीय श्रमिकों सहित) की मृत्यु के मामलों से संबंधित डाटा नीचे दिया गया है:

क्रमांक	**देश**	**मरने वालों की संख्या**
1.	सऊदी अरब	1,025
2.	संयुक्त अरब अमीरात	1,681

3.	कुवैत	564
4.	कतर	210
5.	ओमान	284
6.	मलेशिया	387
7.	बहरीन	205
8.	जॉर्डन	05
9.	लेबनान	16
10.	सूडान	03
11.	दक्षिण सूडान	03
12.	इंडोनेशिया	07
13.	अफ़ग़ानिस्तान	02
14.	लीबिया	04

विदेश स्थित हमारे मिशन/केंद्र भारतीय नागरिक की मृत्यु की सूचना प्राप्त होने पर, मृतक के परिवार की इच्छा के अनुसार, सभी मृत्यु संबंधी दस्तावेज, पार्थिव शरीर को भारत लाने या स्थानीय स्तर पर दाह संस्कार के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र तुरंत जारी करते हैं। मिशन/केंद्र सभी औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए नियोक्ता/प्रायोजक के साथ संपर्क करते हैं और पार्थिव शरीर को समय पर भारत भेजने या स्थानीय स्तर पर सम्मानजनक दाह संस्कार के लिए स्थानीय प्राधिकारियों से अनुमोदन प्राप्त करते हैं। नियोक्ता/प्रायोजक द्वारा सहयोग न किए जाने की स्थिति में, मिशन/केंद्र स्थानीय सरकारी प्राधिकारियों के साथ यह मामला उठाते हैं ताकि नियोक्ता/प्रायोजक को औपचारिकताओं में तेजी लाने के लिए प्रेरित किया जा सके। साधन और परीक्षण के आधार पर योग्य मामलों में, मिशन/केंद्र पार्थिव शरीर के परिवहन के लिए सभी व्यय भारतीय समुदाय कल्याण कोष (आईसीडब्ल्यूएफ) से वहन करते हुए प्रेषण संबंधी औपचारिकताओं को पूरा करते हैं। मुआवजे के भुगतान हेतु, मिशन/केंद्र स्थानीय श्रम कानूनों के अनुसार मृतक की स्वीकार्य कानूनी बकाया राशि/अंतिम सेवा लाभ प्राप्त करने के लिए नियोक्ता/प्रायोजक/स्थानीय प्राधिकारियों के साथ लगातार अनुवर्ती कार्रवाई करते हैं ताकि इन्हें भारत में मृतक के कानूनी उत्तराधिकारियों को प्रदान किया जा सके। कुछ मामलों में मिशन/केंद्र, यदि परिवार द्वारा उन्हें मृत्यु क्षतिपूर्ति दावे के संबंध में आगे की कार्रवाई हेतु अधिकृत किया गया हो, तो अधिवक्ताओं के पैनल के माध्यम से अदालत में मृत्यु संबंधी दावे दायर करते हैं और नियमित रूप से मामले की प्रगति के बारे में परिवार को अपडेट करते हैं।

(ड़) और (च) सरकार विदेशों में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा, संरक्षा और कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है और विदेशों में भारतीय कामगारों की कार्य स्थितियों की निगरानी और शिकायत निवारण के लिए इसके पास मजबूत तंत्र है। विदेश स्थित हमारे मिशन/केंद्रों को समय-समय पर विदेशों में काम कर रहे भारतीय नागरिकों से विभिन्न प्रकार की शिकायतें प्राप्त होती हैं और इनमें वेतन के भुगतान में देरी/भुगतान न करना, पासपोर्ट रोक लेना, अनुचित कार्य स्थितियां, घटिया आवास, कार्य के घंटे बढ़ाना, दुर्व्यवहार/उत्पीड़न, अत्यधिक काम, प्रवेश/निकास परमिट/वीजा/अंतिम निकास परमिट के नवीनीकरण की अस्वीकृति, वेतन का भुगतान न करना और उस काम पर न रखना जिसका वचन दिया गया हो आदि शामिल हैं।

विदेश स्थित हमारे मिशन और केंद्र हर समय सतर्क रहते हैं और विदेशों में भारतीय नागरिकों की कार्य स्थितियों की सक्रिय रूप से निगरानी करते हैं। सरकार ने विदेशों में काम कर रहे भारतीय नागरिकों को किसी भी सहायता की आवश्यकता होने पर मिशन/केंद्र तक पहुंचने में सक्षम बनाने के लिए विभिन्न चैनल स्थापित किए हैं। वे वॉक-इन इंटरव्यू, ई-मेल, बहुभाषी 24x7 आपातकालीन नंबर, मदद, सीपीग्राम्स और ई-माइग्रेट जैसे शिकायत निवारण पोर्टल और सोशल मीडिया आदि के माध्यम से मिशन/केंद्रों से संपर्क कर सकते हैं। जब भी ऐसे मामले रिपोर्ट किए जाते हैं, तो मिशन/केंद्र नियोक्ता/प्रायोजक/एजेंट और स्थानीय प्राधिकारियों के साथ समन्वय करते हुए त्वरित कार्रवाई करते हैं और पीड़ित भारतीय कामगार को हर संभव सहायता प्रदान करते हैं। भारतीय कामगारों को सभी मामलों पर मार्गदर्शन और परामर्श प्रदान करने के लिए दुबई (यूएई), रियाद, जेद्दा (सऊदी अरब अधिराज्य) और कुआलालंपुर (मलेशिया) में प्रवासी भारतीय सहायता केंद्र (पीबीएसके) स्थापित किए गए हैं। खाड़ी देशों में सभी भारतीय मिशनों में समर्पित श्रम शाखाएँ (लेबर विंग)हैं।

भारतीय मिशन/केंद्र नियमित रूप से दूरदराज के क्षेत्रों में ओपन हाउस और कोंसली शिविर आयोजित करते हैं, ताकि ऐसे क्षेत्रों में रहने वाले भारतीय कामगारों से फीडबैक प्राप्त किया जा सके और उनकी शिकायतों, यदि कोई हो, का समाधान किया जा सके। रोजगार संबंधी मुद्दों से संबंधित शिकायतों को भी शीघ्र निवारण के लिए मेजबान देश के स्थानीय श्रम विभाग और अन्य संबंधित प्राधिकारियों के समक्ष उठाया जाता है। जीसीसी देशों के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापनों के आधार पर, संबंधित देशों के साथ संयुक्त कार्य समूहों की नियमित बैठकों के दौरान श्रमिकों के कल्याण और सुरक्षा से संबंधित मामलों को उठाया जाता है। इसके अलावा, ऐसे मामलों को नियमित रूप से राजनयिक माध्यमों से संबंधित मेजबान सरकारों के साथ भी उठाया जाता है।

******

अनुबंध- I

01-01-2021 से 19-11-2024 तक देश-वार उत्प्रवासन अनापत्ति (ईसी) संबंधी डाटा

देश	**जारी ईसी की संख्या**
सऊदी अरब	5,63,813
संयुक्त अरब अमीरात	2,12,018
कुवैत	1,64,017
कतर	1,32,887
ओमान	94,907
मलेशिया	33,482
बहरीन	31,836
जॉर्डन	8,982
इराक	6,370
लेबनान	666
थाईलैंड	18
इंडोनेशिया	5
दक्षिण सूडान	2
सूडान	2
कुल	12,49,005

अनुबंध- II

01-01-2021 से 19-11-2024 तक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार उत्प्रवास अनापत्ति (ईसी) संबंधी डाटा

क्रमांक	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र का नाम	जारी ईसी की संख्या
1.	अंडमान और निकोबार	38
2.	आंध्र प्रदेश	55,485
3.	अरुणाचल प्रदेश	14
4.	असम	10,167
5.	बिहार	2,17,335
6.	चंडीगढ़	824
7.	छत्तीसगढ	380
8.	दादरा एवं नगर हवेली	12
9.	दमन और दीव	67
10.	दिल्ली	4,999
11.	गोवा	1,615
12.	गुजरात	12,660
13.	हरियाणा	4,221
14.	हिमाचल प्रदेश	1,347
15.	जम्मू और कश्मीर	15,033
16.	झारखंड	14,267
17.	कर्नाटक	19,242
18.	केरल	60,113
19.	लद्दाख	3
20.	लक्षद्वीप	6
21.	मध्य प्रदेश	3,933
22.	महाराष्ट्र	22,812
23.	मणिपुर	98
24.	मेघालय	32
25.	मिजोरम	3
26.	नगालैंड	13
27.	ओडिशा	22,948
28.	पुदुचेरी	1,120

29.	पंजाब	39,241
30.	राजस्थान	87,388
31.	सिक्किम	14
32.	तमिलनाडु	78,528
33.	तेलंगाना	35,505
34.	त्रिपुरा	3,726
35.	उत्तर प्रदेश	4,25,851
36.	उत्तराखंड	11,143
37.	पश्चिम बंगाल	98,822
	कुल योग	12,49,005

*****